भारत का संघ

बनाम

के. इंद्रसेना रेड्डी और अन्य

02 अप्रैल, 2007

[एस. बी. सिन्हा और मार्कंडेय काटजू, जे. जे.]

स्वतंत्रता सेनानी-स्वतंत्र सैनिक सम्मान पेंशन योजना, 1980– खंड 2.3-स्वतंत्रता सेनानी द्वारा प्राप्त अधिकार के लिए-दावे के तहत पेंशन दावेदार योजना के तहत पेंशन का हकदार नहीं है क्योंकि वह यह स्थापित करने में विफल रहा है कि उसने योजना के तहत पात्रता मानदंड/शर्तों को पूरा किया है।

स्वतंत्र सैनिक सम्मान पेंशन योजना, 1980 अपीलार्थी सरकार द्वारा शुरू की गई थी। एक व्यक्ति योजना के लाभ का हकदार था बशर्ते वह उसमें निर्धारित मानदंडों को पूरा करता हो। मानदंडों में से एक यह था कि स्वतंत्रता संग्राम में भाग लेने के कारण व्यक्ति को छह महीने से अधिक समय तक भूमिगत रहना पड़ता था।

मानदंड इन शर्तों के अधीन था कि व्यक्ति को अपराधी घोषित किया गया था या ये वह था जिस पर गिरफ्तारी का पुरस्कार घोषित किया गया

था या जिसकी हिरासत के लिए गिरफ्तारी का आदेश जारी किया गया था लेकिन तामिल नहीं किया गया था। प्रतिवादी ने उपरोक्त मानदंडों के तहत विफल होने का दावा करते हुए योजना के तहत पेंशन के लिए आवेदन किया, जो खारिज कर दिया गया था।

उच्च न्यायालय के निर्देश पर दावे पर फिर से विचार किया गया। इस दावे को उपयुक्त प्राधिकरण द्वारा यह मानते हुए खारिज कर दिया गया था कि उसने यह स्थापित नहीं किया है कि वह पात्रता मानदंडों को पूरा करता है। एक रिट याचिका पर, उच्च न्यायालय के एकल न्यायाधीश ने उपयुक्त प्राधिकरण के निष्कर्ष को बरकरार रखा। उच्च न्यायालय की रिट अपील खंड पीठ ने अभिनिर्धारित किया कि प्रत्यर्थी योजना के तहत पेंशन के लिए पात्र था, जैसा कि रिकॉर्ड से पता चला है कि 98 व्यक्तियों के खिलाफ हिरासत का आदेश जारी किया गया था और प्रत्यर्थी उनमें से एक था।

न्यायालय ने अपील स्वीकार करते हुए अभिनिर्धारित किया कि-

एक व्यक्ति समान पेंशन योजना के लाभ का हकदार है, बशर्ते वह उसमें निर्धारित मानदंडों को पूरा करता हो। उक्त योजना में निर्धारित मानदंडों में से एक यह था कि संबंधित व्यक्ति स्वतंत्रता संग्राम में अपनी भागीदारी के कारण छः महीने से अधिक समय तक भूमिगत रहा हो।

हालांकि, यह निर्धारित शर्तों के अधीन होगा। उसमें नीचे अर्थात

(i) उसे घोषित अपराधी होना होगा।

(ii) यह वह व्यक्ति है जिस पर गिरफ्तारी के लिए पुरस्कार की घोषणा की गई थी; या

(iii) यह वह है जिसके लिए हिरासत, गिरफ्तारी का आदेश जारी किया गया था लेकिन तामिल नहीं किया गया। [पैरा 10] [690 - बी-सी]

2. प्रत्यर्थी नं. 1 यह स्थापित करने में सक्षम नहीं है कि उसने उक्त योजना के तहत निर्धारित पात्रता मानदंड/शर्तों को पूरा किया। उपयुक्त प्राधिकारी और उच्च न्यायालय के एकल न्यायाधीश भी स्पष्ट रूप से इस निष्कर्ष पर पहुंचे हैं कि पहले प्रत्यर्थी को न तो अपराधी घोषित किया गया था और न ही उसकी गिरफ्तारी के लिए कोई पुरस्कार की घोषणा की गईया हिरासत का आदेश जारी किया गया था। लेकिन उसे तामिल नहीं किया जा सकता। इसलिए उच्च न्यायालय की खंड पीठ ने आक्षेपित निर्णय पारित करने में एक स्पष्ट त्रुटि की जहाँ तक वह इस आधार पर आगे बढ़ी कि प्रत्यर्थी नं 1 सम्मान पेंशन योजना के तहत पेंशन का हकदार था केवल इसलिए कि उसके खिलाफ गिरफ्तारी का आदेश किया गया था। यदि केवल निरोध का आदेश जारी किया गया था,

तो इससे यह निष्कर्ष नहीं निकलेगा कि प्रत्यर्थी को छः माह से अधिक समय तक भूमिगत रहना होगा, जब तक कि वह योजना में उल्लिखित एक या अन्य अपेक्षित शर्त साबित न कर दे। [पारस 11,12 और 13] [690-एफ, ई, डी]

सिविल अपीलीय क्षेत्राधिकार: 2007 की सिविल अपील सं. 1915

रिट अपील संख्या 73/2005 में आन्ध्रप्रदेश उच्च न्यायालय, हैदराबाद के निर्णय एवं आदेश दिनांक 18.02.2005 से

आर. मोहन, एएसजी, संध्या गोस्वामी और सुषमा सूरी अपीलार्थी की ओर से ।

विद्या भास्कर मिश्रा, एन. एन. झा, नितिन के. ठाकुर और रामेश्वर प्रसाद गोयल उत्तरदाताओं की और से।

न्यायालय का निर्णय सुनाया गया।

एस. बी. सिन्हा, जे.

1. अनुमति दी गई।

2. भारत संघ हमारे सामने 2005 की रिट अपील संख्या 73 आंध्रप्रदेश उच्च न्यायालय की एक खंड पीठ द्वारा पारित दिनांक 18.02.2005 के निर्णय और आदेश पर सवाल उठा रहा है जिसके तहत

प्रत्यर्थी द्वारा एक अंतर न्यायालय अपील की गई थी जिससे विद्वान सिंगल बेंच के आदेश दिनांक 23.09.2004 द्वारा पारित आदेश को खारिज कर दिया गया।

3. निर्विवाद रूप से केन्द्र सरकार द्वारा एक योजना जिसे स्वतंत्र सैनिक सम्मान पेंशन याेजना 1980 के नाम से जाना जाता है, शुरू की गई थी। उक्त सम्मान प्रदान करने की शर्तें उसमें निर्दिष्ट की गईथी जिसके प्रासंगिक प्रावधान खंड 2, 3 इस प्रकार हैः

"2.3 भूमिगतः एक व्यक्ति जो स्वतंत्रता संग्राम में भाग लेने के कारण छः महीने से अधिक समय तक भूमिगत रहाः

ए. एक घोषित अपराधी

बी. जिस पर गिरफ्तारी के लिए पुरस्कार की घोषणा की गई थी; या

ग. जिसकी हिरासत के लिए आदेश जारी किया गया था लेकिन उसकी तामील नहीं की गई थी।"

4. उक्त योजना के संदर्भ में प्रतिवादी संख्या प्रतिवादी सं. 1 के आवेदन को उपयुक्त सरकार द्वारा खारिज कर दिए जाने के बाद, उच्च न्यायालय के समक्ष एक रिट याचिका दायर की गई थी। रिट याचिका

संख्या 33261/1998 में पारित दिनांक 13.11.1998 के एक आदेश द्वारा इसमें अपीलार्थियों को निर्देश दिया कि वे उक्त प्रथम प्रतिवादी के आवेदन पर उचित निर्णय लें और उक्त योजना के तहत पेंशन देने के लिए उसके मामले पर विचार करें।

5. उसके अनुसरण में या उसके आगे पहले के आवेदन पर विचार किया गया और अपीलार्थियों द्वारा दिनांकित 21.10.1999 आदेश के अनुसार अस्वीकार कर दिया गया जिसमें कहा गया थाः

"आपने तत्कालीन हैदराबाद राज्य के भारतीय संघ में विलय के लिए स्वतंत्रता संग्राम के संबंध में भूमिगत पीड़ा का दावा किया है और निज़ाम सरकार के पुलिस महानिदेशक द्वारा जारी हिरासत आदेश की एक प्रति पेश की है। पत्र संख्या 2/ कांग्रेस/ के तहत 56 फसली दिनांक 5,12.1356 फसली ने अपने समर्थन में 98 आरोपी व्यक्तियों की एक सूची बनाई। उक्त दस्तावेजों की जांच की गई और पाया गया कि उनमें कुछ शर्तों को पूरा करने की कमी है जो इस प्रकार हैं:

(i) आपके द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज़ों से पता चलता है कि सूचीबद्ध सभी 98 व्यक्तियों को पुलिस विभाग को प्रदत्त शक्तियों के अनुसार पुलिस द्वारा हिरासत में लिया जाना था;

और इसे आपके दावे के अनुसार क्रियान्वित नहीं किया गया;

(ii) ऐसा प्रतीत होता है कि आपके मामले में गिरफ्तारी का वारंट संबंधित क्षेत्राधिकार मजिस्ट्रेट द्वारा जारी नहीं किया गया है, क्योंकि हिरासत के मामलों में गिरफ्तारी का कोई वारंट नहीं है;

(iii) दस्तावेज़ छः माह की आवश्यक न्यूनतम अवधि को साबित नहीं करते हैं। हिरासत के सभी अधिनियमों की तरह कष्ट एक बार हिरासत में लेने की अवधि निश्चित शर्तों में दी जानी है, जिसका यहाँ अभाव है; और

(iv) आपके द्वारा प्रस्तुत वर्तमान ज्ञान प्रमाण पत्र योग्य प्रमाणन नहीं है।"

6. उसके खिलाफ पहले प्रतिवादी द्वारा उच्च न्यायालय के समक्ष एक रिट याचिका दायर की गई थी, जैसा कि यहां पहले देखा गया था, उस न्यायालय के एक विद्वान एकल न्यायाधीश ने यह कहते हुए खारिज कर दिया थाः

"यदि कोई व्यक्ति दावा करता है कि वह हिरासत आदेश के अनुसार भूमिगत रहा, तो ऐसे व्यक्ति को दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत करना होगा। जैसे कि ऐसे व्यक्ति को अपराधी घोषित

करने वाले अदालत के आदेश की प्रति, और उसके सिर पर पुरस्कार की घोषणा करना।

वयोवृद्घ स्वतंत्रता सेनानियों का एक प्रमाण पत्र, जिन्होंने खुद पांच साल या उससे अधिक के लिए कारावास की सजा भुगती है, यदि उनकी अनुपलब्धता के कारण अंतिम रिकॉर्ड सामने नहीं आ रहे हैं तो यह भी पर्याप्त सबूत है। याचिकाकर्ता का मामला यह नहीं है कि उसने अदालत के आदेश के माध्यम से खुद को एक भगोड़ा घोषित करने के लिए सबूत पेश किया है या अपने सिर पर पुरस्कार की घोषणा कर रहा है। ऐसा प्रतीत होता है कि उसने किसी अन्य स्वतंत्रता सेनानी से प्रमाण पत्र तैयार किया है और उसी को पहले प्रतिवादी ने यह कहते हुए खारिज कर दिया था कि ऐसा स्वतंत्रता सेनानी, जिसने व्यक्तिगत ज्ञान प्रमाण पत्र दिया है, पात्र प्रमाणन नहीं है। प्रतिवादी ने योजना में निहित विभिन्न दिशानिर्देशों के आलोक में मामले के सभी पहलुओं पर विचार किया है और मुझे स्वतंत्रता सैनिक पेंशन योजना के तहत पेंशन की मंजूरी के लिए याचिकाकर्ता के दावे को खारिज करने में कोई मनमानी या अवैधता नहीं मिली है।"

7. हालाँकि, उच्च न्यायालय की एक खंडपीठ ने एक इंटर कोर्ट

अपील में आक्षेपित फैसला सुनाया । यह इस आधार पर आगे बढ़ा कि भूमिगत रहने के लिए, अनुभवी स्वतंत्रता सेनानी से एक प्रमाण पत्र, जो कि द्वितीयक साक्ष्य की प्रकृति में है, आवश्यक नहीं था क्योंकि प्राधिकरण के समक्ष प्रस्तुत रिकॉर्ड से पता चलता है कि डिफेंस आफ हैदराबाद रूल के नियम 119 के तहत 98 व्यक्तियों के खिलाफ हिरासत का आदेश जारी किया गया था और पहला प्रतिवादी उनमें से एक था।

8. अपीलकर्ता की ओर से उपस्थित विद्वान अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल श्री आर. मोहन ने कहा कि मामले के तथ्यों और परिस्थितियों के अनुसार उच्च न्यायालय की खंडपीठ को रिट याचिका में दिए गए आक्षेपित आदेश में हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए था। विद्वान एकल न्यायाधीश द्वारा पारित आदेश में भी।

9. दूसरी और प्रतिवादी की और से पेश होने वाले विद्न अधिवक्ता का तर्क है कि अपीलकर्ता द्वारा बनाई गई योजना के इरादे और उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए, कोई भी संदेह नहीं हो सकता है। ऐसी स्थिति में प्राथमिक साक्ष्य, अर्थात्, न्यायालय के रिकॉर्ड उपलब्ध नहीं हैं: एक अनुभवी स्वतंत्रता सेनानी द्वारा दिया गया प्रमाण पत्र इस उद्देश्य को पूरा करेगा।

10. एक व्यक्ति सम्मान पेंशन योजना के लाभ का हकदार है, बशर्ते

वह उसमें निर्धारित मानदंडों को पूरा करता हो। उक्त योजना में निर्धारित मानदंडों में से एक, जैसा कि यहां पहले देखा गया था, यह था कि संबंधित व्यक्ति को स्वतंत्रता संग्राम में अपनी भागीदारी के कारण छह माह से अधिक समय तक भूमिगत रहना पड़ा। हालाँकि, यह उसमें निर्धारित शर्तों के अधीन होगा, अर्थात्,

(i) उसे एक घोषित अपराधी होना चाहिए: या

(ii) ये वह व्यक्ति है जिस पर गिरफ्तारी के लिए पुरस्कार की घोषणा की गई थी; या

(iii) ये वह व्यक्ति है जिसकी हिरासत के लिए गिरफ्तारी का आदेश जारी किया गया था लेकिन तामील नहीं किया गया।

11. यदि केवल हिरासत का आदेश जारी किया गया था, तो इससे यह निष्कर्ष निकल सकता है कि पहले प्रतिवादी को छह महीने से अधिक समय तक भूमिगत रहना होगा, जब तक कि वह योजना में उल्लिखित एक या अन्य अपेक्षित शर्त को साबित नहीं कर देता।

12. उपयुक्त प्राधिकारी और विद्वान एकल न्यायाधीश स्पष्ट रूप से इस निष्कर्ष पर पहुंचे थे कि पहले प्रतिवादी को न तो अपराधी घोषित किया गया था और न ही उसकी गिरफ्तारी के लिए पुरस्कार की घोषणा की गई थी या हिरासत का आदेश जारी किया गया था, लेकिन उसे तामील

नहीं किया जा सका। इसलिए, उच्च न्यायालय की डिवीजन बेंच ने, हमारी राय में, आक्षेपित निर्णय पारित करने में एक स्पष्ट त्रुटि की, जहां तक वह इस आधार पर आगे बढ़ा कि प्रतिवादी नंबर 1 यहां सम्मान पेंशन योजना के तहत पेंशन देने का हकदार था। सिर्फ इसलिए क्योंकि उनके खिलाफ हिरासत का आदेश जारी किया गया था।

13. इसलिए, हम संतुष्ट हैं कि प्रतिवादी नंबर 1 यह स्थापित करने में सक्षम नहीं है कि उसने उक्त योजना के तहत निर्धारित पात्रता मानदंड/ शर्तों को पूरा किया है।

14. उपरोक्त कारणों से, आक्षेपित निर्णय को बरकरार नहीं रखा जा सकता है, जिसे तदनुसार रद्द किया जाता है।

अपील स्वीकार की जाती है। लागत के संबंध में कोई आदेश नहीं दिया जाता है।

यह अनुवाद आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टूल 'सुवास' की सहायता से अनुवादक न्यायिक अधिकारी रवि प्रकाश बाकोलिया (आर.जे.एस.) द्वारा किया गया है।

अस्वीकरण: यह निर्णय पक्षकार को उसकी भाषा में समझाने के सीमित उपयोग के लिए स्थानीय भाषा में अनुवादित किया गया है और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और आधिकारिक उद्देश्यों के लिए, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण ही प्रामाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्वयन के उद्देश्य से भी अंग्रेजी संस्करण ही मान्य होगा।